कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 28-03-2025

विषय:- एक अवैध देशी तमंचे व कारतूस के साथ 25000/- रूपये का ईनामिया अपराधी थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस, चोरी के चेन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे **आपरेशन चक्रव्यूह** अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के नेतृत्व में दिनांक 28.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक रामनगर मय टीम के उजाला बैरियर पर आपरेशन चक्रव्यूह के तहत संदिग्ध व्यक्ति / वाहन की चेकिंग कर रहे थे कि तभी रामनगर कस्बा चौराहे की तरफ से एक मोटर साइकिल जिस पर दो व्यक्ति सवार थे पुलिस को चेकिंग करता देख एक बारगी पीछे मुड़कर भागने लगे, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा पीछा किया गया तथा उन्हे घेरने हेतु अन्य टीमों को बताया गया। संदिग्ध बाइक सवार दोनों व्यक्ति बाल सुधार गृह की तरफ भागते हुए विश्व सुन्दरी पुल के पास पहुंचे तो एक पुलिस टीम सामने की तरफ से आयी दोनो संदिग्ध रोड के बाये तरफ जाकर गिर गये और पुलिस टीम पर अपने बचाव में जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा फायर किया गया जिसमें एक अभियुक्त अजय साहनी पुत्र रामविलास साहनी निवासी मदरवा थाना लंका वाराणसी उम्र 26 वर्ष के दाहिने घुटने में गोली लग गयी तथा दूसरा अभियुक्त त्रिभुवन उर्फ गोलू उर्फ पंकज पुत्र रघुनाथ उर्फ पप्पू निवासी करवथ थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 30 वर्ष पुलिस के चेतावनी पर हाथ ऊपर करके आत्मसमर्पण कर दिया। अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लेते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0060/2025, धारा- 3(5)/109(1) बी0एन0एस0 व 3 / 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 अदद तमंचा 315 बोर
2- 01 अदद जिन्दा कारतूस
3- 01 अदद खोखा कारतूस
4- एक अदद चेन पीली धातु
5- मोटर साइकिल नम्बर UP 67 K 6539

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का विवरण –

अजय साहनी

1. मु0अ0सं0-0744/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0-0129/2019 धारा 392 भा0द0वि0 थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।

3. मु0अ0सं0-0291/2019 धारा 323/392/411/506 भा0द0वि0 थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0-0749/2020 धारा 41/411/414/420/467/468 भा0द0वि0 थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
5. मु0अ0सं0-0299/2019 धारा 28 / 27 आर्म्स एक्ट थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
6. मु0अ0सं0-0748/2020 धारा 379/411/420/467/468 भा0द0वि0 थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
7. मु0अ0सं0-0516/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
8. मु0अ0सं0-0297/2019 धारा 307/411/414 भा0द0वि0 थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।
9. मु0अ0सं0-0148/2019 धारा 379/411 थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
10. मु0अ0सं0-0081/2019 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी।
11. मु0अ0सं0-0057/2025 धारा 304(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
12. मु0अ0सं0-0060/2025 धारा 3(5)/109(1) बी0एन0एस0 व 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी

<u>त्रिभुवन उर्फ गोलू उर्फ पंकज-</u>

1. मु0अ0सं0-0455/2024 धारा 304/317(2) बी0एन0एस0 थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0-0813/2017 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0-0235/2021 धारा 394 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0-0264/2021 धारा 420/467/468 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
5. मु0अ0सं0-0057/2025 धारा 304(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. मु0अ0सं0-0060/2025 धारा 3(5)/109(1) बी0एन0एस0 व 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u> –

1- अजय साहनी पुत्र रामविलास साहनी निवासी मदरवा थाना लंका वाराणसी उम्र 26 वर्ष।

2- त्रिभुवन उर्फ गोलू उर्फ पंकज पुत्र रघुनाथ उर्फ पप्पू निवासी करवथ थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 30 वर्ष।

<u>अपराध का तरीका</u>-- अभियुक्त अजय साहनी व त्रिभुवन उर्फ गोलू उर्फ पंकज एक शातिर किस्म के चोर, लूट व अन्य जघन्य अपराध करित करने के अभ्यस्त अपराधी है इन लोगों द्वारा वाराणसी में मुख्यतया वृद्ध एवं सम्पन्न महिलाओं को निशाना बनाकर अपनी बातों में फंसाकर तमंचा दिखाकर भयभीत करने के उपरान्त चोरी व लूट जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। इनके द्वारा कोदोपुर में एक महिला से चेन छीना गया जिसके सम्बन्ध में थाना रामनगर पर मु0अ0सं0- 0057/2025 धारा 304(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत है जिसमें बाद बरामदगी धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>विवरण पूछताछ</u>-- अभियुक्त अजय साहनी ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब त्रिभुवन उर्फ गोलू उर्फ पंकज हम दोनों की मुलाकात जिला कारागार में हुई जहां हम दोनों की दोस्ती हो गयी हम दोनों मिलकर चोरी, लूट, पुलिस बल पर फायरिंग आदि जैसे जघन्य अपराध करते है जो चोरी, लूटपाट में सामान मिलता है उसे बराबर बराबर बांट लेते है। अजय साहनी ने बताया कि साहब जो मेरे पास से तमंचा व कारतूस मिला है मैं पूर्व में भी पुलिस बल पर फायरिंग में लंका थाने से जेल जा चुका हूँ। यह अपराध कारित करने के लिए तमंचा अपने पास रखता हूँ। हम दोनों ने चोरी, लूट आदि जघन्य अपराध कारित किये है जिसके सम्बन्ध में वाराणसी जिले के

विभिन्न थानों पर मुकदमा पंजीकृत है। अभी 7 से 8 दिन पहले हम दोनों कोदोपुर में एक महिला का चेन खींचकर भाग गये थे। त्रिभुवन उर्फ गोलू उर्फ पंकज ने बताया कि साहब जो मेरे पास से चेन बरामद हुआ है वह कोदोपुर में खींची गयी महिला का ही चेन है। आपराधिक इतिहास व कड़ाई से पूछने पर बताया कि थाना भेलूपुर में 25000 का ईनाम अपराधी हूँ।

<u>पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण</u>-- दिनांक 26/03/2025 को वादी मुकदमा ने लिखित सूचना दिया कि दिनांक 20/03/2025 समय करीब 3.30 बजे PM मेरी माँ घर से पड़ोसी के यहाँ जा रही थी तभी पीछे से दो व्यक्ति मोटर साईकिल सवार आकर झपट्टा मारकर मेरे माँ के गले से चेन (सोने की) लेकर लाल बहादुर शास्त्री हास्पीटल की तरफ भाग गये। हम लोगो ने काफी पता किया परन्तु कोई पता न चल सका जिसके सम्बन्ध में थाना रामनगर पर मु0अ0सं0- 0057/2025 धारा 304(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत है।

<u>पुलिस टीम का विवरण –</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री अमीर बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री आदित्य राय चौकी प्रभारी भीटी थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 श्री पंकज कुमार मिश्र थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. उ0नि0 श्री ओम प्रकाश वर्मा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. उ0नि0 श्री पीयूष त्रिपाठी थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. हे0का0 सद्दाम हुसैन थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
8. हे0का0 सुर्यप्रकाश तिवारी थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
9. का0 इकरार मोहम्मद थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
10. का0 सत्यदेव गौड़ थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
11. का0 रणधीर गौड़ थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
12. का0 गौरव भारती थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
13. का0 शैलेन्द्र सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>नोट-</u> श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम के उत्साह वर्धन हेतु 25000 रुपये के नगद पुरस्कार के पुरुस्कृत किया गया।